न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 168/2019

1. दिनेश आयु 25 वर्ष आ0 बद्रीलाल जाति धाकड निवासी जलोदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. राममुर्ति बाई आयु 55 वर्ष पत्नी बद्रीलाल जाति धाकड निवासी जलोदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0

—— वादीगण

बनाम

1. बद्रीलाल आ0 रघुनाथ जाति धाकड निवासी जलोदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार के0पाटन

—— प्रतिवादीगण

वादः— अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि
अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थिति :—

1— वादीगण की ओर सें श्री चन्द्रप्रकाश नागर एडवोकेट
2— प्रतिवादी की और सें श्री सुरेन्द्र कुमार मालव एडवोकेट

—::निर्णय::—

दिनांकः 03.12.2019

1. वादीगण के द्वारा दिनांक 15.11.2019 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि का पेश किया गया ।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नया 290 एवं 289 की कृषि भूमि खसरा संख्या 312 रकबा 0.32 है0, खसरा संख्या 313 रकबा 0.27 है0, खसरा संख्या 369 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 1510 रकबा 0.60 है0, खसरा संख्या 1255 रकबा 0.09 है0, खसरा संख्या 1263 रकबा 0.47 है0, खसरा संख्या 1264 रकबा 0.40 है0, खसरा संख्या 1265 रकबा 0.40 है0, खसरा संख्या 1266 रकबा 0.38 है0, खसरा संख्या 1267 रकबा 0.06 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 3.00 है0 वाके ग्राम व माल जलोदा पटवार हल्का जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

विरिथत है। वादीगण दिनेश व राममुर्ति बाई है जो वादीगण संख्या 1 व 2 का हित व सुरक्षा संयुक्त ही है। आपस में कोई विरोध नही है। इस कारण उक्त दावा वादी व माता का घोषणा का पेश किया गया है। मूल पुरूष रघुनाथ है। रघुनाथ का पुत्र बद्रीलाल है और बद्रीलाल का पुत्र दिनेश है तथा वादी संख्या 2 बद्रीलाल की पत्नी राममुर्ति बाई है। वादीगण को जन्म से अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पुरखो सें पीढ़ी दर पीढी चली आ रही है। जिसमें वादीगण का 1/3, 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। वादी संख्या 2 भी पुत्र के साथ बंटवारा कराने की अधिकारी है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बय व अन्यत्र हस्तानान्तकरण करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को विधिवत रूप से 1/3, 1/3 हिस्से का बटवारा दर्ज किया जावे।

3. वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के वादपत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की और से दिनांक 02.12.2019 को राजीनामा पेश किया गया।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 02.12.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया । राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है कि खाता संख्या नया 290 एवं 289 के खसरा संख्या 312 रकबा 0.32 है0, खसरा संख्या 313 रकबा 0.27 है0, खसरा संख्या 369 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 1510 रकबा 0.60 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम व माल जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादी संख्या 1 दिनेश आ0 बद्रीलाल जाति धाकड निवासी जलोदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से में रहेगी। खाता संख्या नया 290 एवं 289 के खसरा संख्या 1265 रकबा 0.40 है0, खसरा संख्या 1266 रकबा 0.38 है0, खसरा संख्या 1267 रकबा 0.06 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम व माल जलोदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 में वादी संख्या 2 राममुर्ति बाई पत्नी बद्रीलाल जाति धाकड निवासी जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से में रहेगी। खाता संख्या नया 290 एवं 289 के खसरा संख्या 1255 रकबा 0.09 है0, खसरा संख्या 1263 रकबा 0.47 है0, खसरा संख्या 1264 रकबा 0.40 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.96 है0 वाके ग्राम व माल जलोदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 में प्रतिवादी संख्या 1 बद्रीलाल आ0 रघुनाथ जाति धाकड निवासी जलोदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से में रहेगी एवं बैंक रहन बदस्तुर रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज़ दिनांक 03/12/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
के० पाटन

3/12/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd' -1)

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन

दिनेश v/s बद्रीलाल वगै0

वादः– अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 168/2019

वादीगण की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार मालव की और सें उपस्थिति में आज दिनांक 03.12.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

''वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है कि खाता संख्या नया 290 एवं 289 के खसरा संख्या 312 रकबा 0.32 है0, खसरा संख्या 313 रकबा 0.27 है0, खसरा संख्या 369 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 1510 रकबा 0.60 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम व माल जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादी संख्या 1 दिनेश आ0 बद्रीलाल जाति धाकड निवासी जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से में रहेगी। खाता संख्या नया 290 एवं 289 के खसरा संख्या 1265 रकबा 0.40 है0, खसरा संख्या 1266 रकबा 0.38 है0, खसरा संख्या 1267 रकबा 0.06 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम व माल जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादी संख्या 2 राममुर्ति बाई पत्नी बद्रीलाल जाति धाकड निवासी जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से में रहेगी। खाता संख्या नया 290 एवं 289 के खसरा संख्या 1255 रकबा 0.09 है0, खसरा संख्या 1263 रकबा 0.47 है0, खसरा संख्या 1264 रकबा 0.40 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.96 है0 वाके ग्राम व माल जलोदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 में प्रतिवादी संख्या 1 बद्रीलाल आ0 रघुनाथ जाति धाकड निवासी जलोदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से में रहेगी एवं बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे।''

नीज .... ग .... मुबलिक ....ग .... बाबत ....ग .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... ग .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 03/12/2019 को जारी की गई।

(मोहर) उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

3/12/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner